

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(15)नविदि/मंडावरी/2022


जयपुर, दिनांक : 05 MAY 2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को मंडावरी (जिला दौसा) के नगरीय क्षेत्र जिनमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	मंडावरी	MANDAWARI
2.	पट्टी किशोरपुरा	PATTI KISHORPURA
3.	खानपुर	KHANPUR
4.	पट्टी-किशोरपुरा (भाग)	KISHORPURU (PART)
5.	खुर्रा (भाग)	KHURRA (PART)
6.	बास लक्ष्मीपुरा	BAS LAXMIPURA

राज्यपाल की आज्ञा से


4/5/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
5. जिला कलक्टर, दौसा।
6. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मंडावरी (जिला दौसा)।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकमें प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय